न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03, उन्नाव।
सत्र परीक्षण सं0–98/2019
राज्य प्रति सुरेश आदि

अपराध संख्या 107/2017,
धारा 308,323,504,506 भा0दं0सं0,
थाना–मांखी, जिला–उन्नाव।

06.05.2022

प्रार्थिनी/अभियुक्ता मिथिलेश पत्नी सुरेश की ओर से प्रार्थनापत्र गैर जमानती वारण्ट रिकाल किये जाने हेतु इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध दिनांक 14.03.2022 को न्यायालय के द्वारा गैर जमानती वारण्ट कर दिया गया था । उसके द्वारा जानबूझकर गलती नहीं की गयी है बल्कि अपरिहार्य कारणो से हुई । उसका गैर जमानती वारण्ट रिकाल करने की की प्रार्थना की गई है ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अभियुक्ता पूर्व में जमानत पर थी । अभियुक्ता मिथिलेश विगत तिथि दिनांक 14.03.2022 को अनुपस्थित थी परन्तु आज अभियुक्ता मिथिलेश न्यायालय के समक्ष उपस्थित है । पूर्व में वह तारीख पेशी पर उपस्थित आती रही है । अभियुक्ता की ओर से अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि वह दिनांक 14.03.2022 को अपरिहार्य कारणो से से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी थी जिसके कारण उसके ऊपर गैर जमानती वारण्ट का आदेश पारित हो गया था जिसकी जानकारी उसे आज न्यायालय आने पर हुई है । अभियुक्ता की अनुपस्थिति का आधार पर्याप्त है । प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

प्रार्थनापत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्ता मिथिलेश के द्वारा मु0 75,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर उसके विरूद्ध जारी गैर जमानती वारण्ट रिकाल किया जाता है ।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0 3,उन्नाव।
06.05.2022